# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर

**पीठासीन अधिकारी :– यशपाल आहूजा** आर.ए.एस.

**अनवान :– राजस्व वाद संख्या 534/2017**

1. मोहन लाल पुत्र श्री ईसरराम, जाति नायक, निवासी चक 4 जी बडी, वी पी.ओ. कालिया तहसील व जिला श्रीगंगानगर
2. मंगल राम पुत्र श्री चन्दूराम, जाति नायक, निवासी चक 4 जी बडी, वीपी.ओत्र. कालिया, तहसील व जिला श्रीगंगानगर
3. पृथ्वीराम पुत्र श्री आशा राम, जाति नायक, निवासी चक 4 जी बडी, वीपीओ. कालिया तहसील व जिला श्रीगंगानगर
4. रूपराम पुत्र श्री आशाराम, जाति नायक, निवासी चक 4 जी बडी, वी.पी.ओ. कालिया तहसील व जिला श्रीगंगानगर
5. श्याम सुन्दर पुत्र री रामस्वरूप जाति नायक, निवासी चक 4 जी बडी, वी.पी.ओ. कालिया तहसील व जिला श्रीगंगानगर

**– – प्रार्थीगण**

## –:: बनाम ::–

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, श्रीगंगानगर
2. नन्दलाल पुत्र श्री हासुराम, जाति अरोडा, निवासी चक 4 जी बडी वी.पी.ओ. कालिया, हाल निवासी कृष्णा मन्दिर के पास पुरानी आबादी श्रीगंगानगर

**– – अप्रार्थी**

**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत रास्ता**

## –:: उपस्थित अभिभाषक ::–

1. श्री बाबूलाल डुडी अधिवक्ता – – प्रार्थी सं.1 ता 5
2. श्री नरेश गाबा अधिवक्ता – – अप्रार्थी संख्या 2
3. पैरोकार राज – – अप्रार्थी संख्या 1

## –:: निर्णय ::–

**27.02.2018**

प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता उपरोक्त अनवान का प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) के अन्तर्गत न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसके तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थीगण के परिवार की चक 4 जी बडी खाता संख्या 74/78 के मुरब्बा नम्बर 51 में 25 बीघा (63250 हैक्टेयर) नहरी भूमि राजस्व रिकार्ड में उनके दादा श्री गंगाराम पुत्र पोकरराम के श्री गंगाराम व श्री ईशरराम, श्री आसीया, किसना, चादिया पिसरान श्री गंगाराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। जिसमें प्रार्थीगण का परिवार खेती करता है व वहां पर अपनी ढाणियां बना कर अपने परिवार सहित निवास करता है।

प्रार्थीगण परिवार सहित कई वर्षों से उक्त ढाणियों में निवास करते आ रहे हैं। मुरब्बा नम्बर 51 में बनी ढानीयों में पहुंचने के लिए मुरब्बा नम्बर 43 व 48 से होकर 16–1/2 फीट का रास्ता आता था, मुरब्बा नम्बर 43 जो कि बिश्नोई परिवार की है, उक्त रास्ता में कोई विवाद नहीं है, लेकिन मुरब्बा नम्बर 48 जो कि हासुराम पुत्र श्री सुहारा राम, जाति अरोडा, निवासी कालिया खाता संख्या 72 पुराना, खाता सं. 77 नया के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। हासुराम की मृत्यु हो चुकी है। हासुराम की मृत्यु के उपरान्त उसके वारिसान स्व. श्री मोहन

लाल, श्री नंदराम, श्री सुभाष, श्री भगवान दास व अन्य है तथा वर्तमान में श्री नंदराम पुत्र श्री हासुराम उक्त भूमि पर काश्त कर रहा है जिसके द्वारा वर्षों से चल रहे आवागमन के रास्ते (मु.नं.48 के किला नं. 1, 10, 11, 20, 21) को बंद कर दिया है, जिससे प्रार्थीगण को आने जाने में बाधा उत्पन्न हुई है और प्रार्थीगण के बच्चों को स्कूल जाने में भी काफी परेशानी उठानी पड रही है, वर्तमान में प्रार्थीगण व उनका परिवार सरकारी खाले में से होकर अपने ढाणीयों व खेतों में पहुंच पा रहे हैं, जब खाले में पानी आता है तो बच्चों व परिवार के लोगों को आने जाने में काफी परेशानी उठानी पडती है। प्रार्थीगण मुरब्बा नम्बर 48 के बंद हुए रास्ता को खुलावाना चाहते हैं ताकि अपने खेतों व ढाणियों में निर्बाध रूप से आ जा सके।

प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि चक 4 जी बडी, वी पी ओ कॉलियां तहसील व जिला श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 48 के किला नम्बर (1, 10, 11, 20, 21) में से मुरब्बा नम्बर नं. 51 यानी प्रार्थीगण के खेतों व ढाणियों के जाने वाला रास्ता 16–1/2 खुलवाये जावे तथा राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने का आदेश पारित किया जावे।

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को जरिए नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी सं.2 को प्रार्थना पत्र के जवाब पेश करने हेतु प्रार्याप्त अवसर दिये गये किन्तु जवाब प्रार्थना पत्र पेश नहीं करने पर दिनांक 23.02.2018 को जवाब प्रार्थना पत्र बंद किया गया।

तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर से रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई व मनन किया गया। अप्रार्थी द्वारा भूमि के बदले भूमि दिये जाने बाबत सहमति जताई गई। आपसी सहमति के आधार पर प्रार्थीगण को अपनी भूमि में आवागमन हेतु रास्ता दिया जाना न्यायोचित पाया गया।

## – :: आदेश ::–

प्रार्थीगणं द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर चक 4 जी बडी, तहसील व जिला श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 48 के किला नम्बर (1, 10, 11, 20, 21) में से मुरब्बा नम्बर नं. 51 यानी प्रार्थीगण के खेतों व ढाणियों के जाने वाला रास्ता 16–1/2 स्वीकृत किया जाता है। गैरमुमकिन रास्ता सार्वजजिक उपयोग हेतु रहेगा।

तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करे एंवम रास्ते के मुआवजा स्वरूप प्रार्थीगण की भूमि में से दो–दो कुल 10 बिस्वा भूमि राजस्व रिकार्ड में अप्रार्थीगण के खाते में अंकन करना सुनिश्चित करें।

आदेश की प्रति तहसीलदार(राजस्व), श्रीगंगानगर को वास्ते पालनार्थ प्रेषित की जोव।

पत्रावली निर्णयशुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकलीम दाखिल दफतर हो।

यह आदेश आज दिनांक **27.02.2018** को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर (राज.)

(यशपाल आहूजा)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर